


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

दोगलाल बनाम गोपी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 251 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>10 12 / 21</p> <p>2021 / 432</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>दोगलाल - कागुलाल - काली</u></p> <p>पिता श्री <u>स्व. मगना डोंगी, कस्तुरी देवा स्व. मगना डोंगी</u></p> <p>निवासी- <u>बड का अमरना</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>बड का अमरना</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>316, 317, 318, 367</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> कुल रकबा <u>1.0100</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बड का अमरना</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>316, 317, 318, 367</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> रकबा <u>1.0100</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000=00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रुपय मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (राजेश कुमार विशनोई) महाप्रब कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिस्ता / प्रा.पत्र 25/2021/261

दिनांक 10/12/21

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : निचे 3 छोड़ालाल - कालुलाल - काली पिता स्व० भगना डांगी
150 बड का अमराणा तहसील चित्तौड़गढ़
4- कस्तूरी बेवा स्व० भगना डांगी 150 बड का अमराणा
नाम
— पाभीशिव

- 1- गोपी पिता हसरज डांगी 150 बड का अमराणा
 - 2- रन्धा पिता देवा डेगर 150 बड का अमराणा
 - 3- बंशी पिता अवंर जी डांगी 150 बड का अमराणा
 - 4- रतनलाल पिता आंगीलाल जी डांगी 150 बड का अमराणा
- विश्वीगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम ^{बड का अमराणा} खतौनी सं. 40
(कण्ड-50-साभरी)
संवत् 2071-2074 में अकित आराजी नम्बर 316, 317, 318, 367
..... कुल कित 4 रकबा 10100 है. भूमि की
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर
शुल्क रूपये 1000=00 अक्षरे एक हजार रुपय मात्र प्रार्थी
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

(श्याम सुन्दर विश्वासी)
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
विश्वीगढ़ (राज.)